

समर अभियान के अंतरगत कुपोषण एवं एनीमिया जाँच के लिये आँगनबाड़ी केंद्र पर चलेगा वशेष अभियान

चर्चा में क्यों?

13 जुलाई, 2022 को झारखंड राज्य पोषण मशिन के महानदेशक राजेश्वरी बी ने राज्य के 5 जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर 15 जुलाई से 31 जुलाई, 2022 तक पंचायत एवं प्रखंडवार संदग्ध कुपोषण एवं एनीमिया वाले बच्चों एवं महिलाओं की जाँच के लिये समर अभियान के तहत एक वशेष अभियान चलाने के नरिदेश दिये।

प्रमुख बदि

- यह वशेष अभियान प्रदेश के पाँच जिलों- लातेहार, चतरा, पश्चिमी सहिभूम, समिडेगा एवं साहबिगंज में चलाया जाएगा।
- राजेश्वरी बी ने कहा कि 5 जुलाई, 2022 को समर अभियान की प्रगति पर की गई समीक्षा में यह पाया गया कि लगभग 20,492 कुपोषण एवं एनीमिया के संदग्ध मामले राज्य में हैं, जनिमें से अब तक केवल 641 की जाँच आँगनबाड़ी केंद्रों पर की गई है।
- कुल 19,851 कुपोषण एवं एनीमिया के संदग्ध मामलों की जाँच की जानी है। इस हेतु 15 से 31 जुलाई, 2022 तक वशेष अभियान चलाकर कुपोषण एवं एनीमिया की जाँच का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनश्चिति कया जाए।
- कुपोषण व एनीमिया के सभी मामले की सूची **SAAMAR App** में आँगनबाड़ी केंद्र पर होने वाली जाँच पर उपलब्ध है। आँगनबाड़ी सेविका यह सुनश्चिति करेगी कि पोषण टुरैकर में पूर्व से चहिनति अतगिंभीर कुपोषति बच्चे की सूचना **SAAMAR APP** में संकलति कर ली जाए। आँगनबाड़ी गाँव स्तर पर प्रत्येक दिन कैंप लगाकर ए.एन.एम. की उपस्थिति में सभी संदग्ध मामलों में कुपोषण (वज़न, लंबाई, ऊँचाई, चकितिसकीय जाँच, भूख की जाँच) एवं एनीमिया की जाँच सुनश्चिति की जाएगी।
- उनहोंने स्पष्ट नरिदेश दया है कि प्रतदिनि की प्रगति प्रतविदन समर डैश बोर्ड पर संकलति हो और प्रत्येक सप्ताह उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजति कर वसतुस्थिति की समीक्षा की जाए।
- 6 माह से 5 वर्ष तक के अतगिंभीर कुपोषण से ग्रसति बच्चों (**SAM**), जनिमें कोई चकितिसीय बीमारी नहीं है एवं वह बच्चा भूख की जाँच में पास है, का उपचार कम-से-कम 4 माह तक समुदाय आधारति प्रबंधन आँगनबाड़ी केंद्र (**SAM**) में 11 चरण को अपनाते हुए कया जाएगा।
 - चरण-1 : सामुदायिक गतशीलता
 - चरण-2 : संदग्ध मामलों की स्क्रीनिंग व शारीरिक नाप
 - चरण-3 : अतगिंभीर कुपोषति बच्चों का चकितिसकीय आकलन
 - चरण-4 : अतगिंभीर कुपोषति बच्चों की भूख की जाँच करना
 - चरण-5 : **STC** में रखना चाहिये या **MTC** को रेफर करना चाहिये
 - चरण-6 : पोषणात्मक उपचार
 - चरण-7 : **SAM KIT** (दवाईयाँ)
 - चरण-8 : पोषण एवं सवास्थ्य शक्ति
 - चरण-9 : बच्चों का फालोअप
 - चरण-10 : डसिचारज देने के मापदंड
 - चरण-11 : डसिचारज पाने के बाद फालोअप
- जन्म से 6 माह तक के अतगिंभीर कुपोषण से ग्रसति बच्चों (**SAM**) का उपचार कुपोषण उपचार केंद्र पर कया जाएगा।
- जन्म से 5 वर्ष तक के अतगिंभीर कुपोषण से ग्रसति बच्चों (**SAM**), जनिमें कोई चकितिसीय बीमारी है एवं वह बच्चा भूख की जाँच में फेल है, का उपचार कुपोषण उपचार केंद्र पर कया जाएगा।
- एनीमिया से ग्रसति बच्चे/कशिरी/युवती एवं गर्भवती महिलाओं का उपचार एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत कया जाएगा।